न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 46 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.बुधाराम पुत्र हरीकिशन जाति विश्नोई उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम फीच तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार लूणी 02.हडमानराम पुत्र खीयाराम जी जाति विश्नोई उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम फीच तहसील लूणी जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापित ।

02.अप्रार्थी संख्या दो की और से अधिवक्ता भवरलाल विश्नोई ।

आदेश:– दिनांक :– 4/5/2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिस पर अप्रार्थी को तलब किया जिस पर अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया एव तहसीलदार लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट की गई। जिस पर अप्रार्थी द्वारा अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे पेश्ज्ञ कर जिस पर न्यायालय द्वारा दिनॉक 08.09.2015 को अपील आशिक तौर पर स्वीकार कर आदेश दिनाक 05.08.2015 को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर पुन–सुनवाई के निर्देश प्रदान किए जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मडल अजमेर मे निगरानी पेश की गई जो निगरानी दिनाक 04.04.2019 को खारिज की गई जिस पर उक्त प्रकरण पुना दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पक्षकारान को तलब कर सुनवाई की गई। अप्रार्थी द्वारा पुन–मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया तथा मौका रिपोर्ट पर एतराज निवेदन किया परन्तु पूर्व मे उपरोक्त रिपोर्ट बाबत अप्रार्थी द्वारा पुर्व मे प्रस्तुत किया गया था जिस को न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तथा मौका रिपोर्ट आज दिन पत्रावली पर मौजूद है जिस पर अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कथन नही किया कि मौका रिपोर्ट गलत है या मौका की स्थिति मे भिन्न है इन परिस्थितियो मे पक्षकारान की बहस सुनी गई।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा नम्बर 700 रकबा 31 बीधा 06 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम फीच पटवार क्षेत्र फीच आर,आई क्षेत्र फीच तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई। जिस पर बहैसियत सह खातेदार काबिज है प्रार्थी के खेत के आगे अप्रार्थी हडमानराम का खेत खसरा नम्बर 695 रकबा 13 बीधा 19 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई। जो खसर नम्बर 695/1 गै,मु सडक के रूप मे दर्ज है। प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 700 मे पहुचाने का कोई भी वैकल्पिक रास्ता नही है। मुख्य सडक खसरा नम्बर 695/1 से होते हुए अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 695 का उपयोग करते हुए अपने खेत में पहूंचता है परन्तु कोई भी रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने में कठिनाईया होती है। मुख्य सडक से प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि में से ही निकटतम एवं लघुतम मार्ग प्रार्थी के लिए हो सकता है। जिसको प्रार्थी उपयोग में भी लेता आ रहा है। उपरोक्त के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

लावा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से उनकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 695 की भूमि में से रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी आनाकानी करने लगा जबकि प्रार्थी को रास्ते का अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हैं। जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क अदा करने को भी तैयार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि में पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 695 में से 30 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाना जाना कानून एवं न्यायसंगत होगा। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 700 वाके ग्राम फींच में पहुंचने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 695 में से 30 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराने का आदेश फरमावे तथा उपरोक्त रास्ते की भूमि को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप मे दर्ज करने का आदेश फरमावे। अन्य आदेश जो मुनासिब समझे पारित फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर 700 ग्राम फींच के खातेदार गोली पत्नि हरिकिशन, छोगाराम,बगाराम , हापूराम , बुधाराम , पपाराम पिसरान हरीकिशन, सुगना पुत्री हरीकिशन बतौर खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 695 में अप्रार्थी संख्या 2 की रहवासीय ढाणियां बनी हुई है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 700 में पहुंचने का मार्ग उपलब्ध है जिसका उपयोग प्रार्थी कदीम से करता आ रहा है प्रार्थी मुख्य सडक खसरा नम्बर 965/1 से होते हुए अप्रार्थी के खसरा नम्बर 695 का उपयचोग करते हुए अपने खेत में नही जाता है अपितु अप्रार्थी के खेत के चारों तरफ तारबन्दी की हुई है प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 700 के पूर्व दिशा की तरफ कटाणी रास्ता जो ग्राम फींच से बासनी झूठा से होते हुए खसरा नम्बर 701 में से अपनी भूमि में आता जाता रहता है और मौके पर रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी पीढियों से करता आ रहा हैं। प्रार्थी द्वारा अपने खेत में जाने हेतु कभी भी अप्रार्थी के खेत में से कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है और नही आज दिन तक इसका उपयोग उपभोग भी किया हैं। प्रार्थी द्वारा रंजिशवश व हल्का पटवारी के सिखावें में आकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 700 के उत्तर दिशा में प्रार्थी एवं उसके परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि आई हुई है जो पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार उसके चाचा एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम है प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु उत्तरी दिशा में से भी रास्ता उपलब्ध है जो दोनों तरफ मौके पर रास्ता चालू हालत में ळें प्रार्थी चाहता तो राजस्व रेकर्ड में मौके पर उपलब्ध उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा पर चलने वाले रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवा सकता था किन्तु प्रार्थी ने अपने निजी स्वार्थ हुतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे। अन्य कोई उचित ओदश बहक अप्रार्थी हो पारित फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 955 दिनांक 22.12.14 द्वारा तहसीलदार लूणी से मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में तहसीलदार लूणी ने अपने पत्रांक 567 दिनांक 16.03.2015 मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम फींच के खसरा नम्बर 700 एवं 695 के मौके की जांच भू अभिलेख निरिक्षक फींच द्वारा करवाई गई। जिस अनुसार ग्राम फींच के खसरा नम्बर 695 फींच के पूर्व में खसरा नम्बर 700 आया हुआ है। खसरा नम्बर 695 के दक्षिणी मेड के सहारे सहारे निकटतम एवं न्यूनतम रास्ता उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल 38 × 4 = 152 वर्ग गट्टा = 0.07.12 बीघा अर्थात 07 बिस्वा 12 बिस्वांसी।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को आधार बताते हुए निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में जाने के लिए खसरा नम्बर 695 निकटतम रास्ते के रूप में है उनका यह भी तर्क था कि खसरा नम्बर 695/1 गै.मु. सडक दर्ज है जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 700 से दूर है केवलमात्र 695 में से ही रास्ता प्रार्थी के निकटतम है इसके अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की खसरा संख्या 695 में अप्रार्थी संख्या 2 की रहवासीय ढाणी बनी हुई तथा प्रार्थी मुख्य सडक के खसरा नम्बर 695/1 से होते हुए अप्रार्थी की खसरा नम्बर 695 का उपयोग करते हुए अपने खेत में नहीं जाता अपितु अप्रार्थी के खेत के चारों तरफ तारबंदी की हुई है। प्रार्थी कटाणी रास्ता जो ग्राम फींच से बासनी झूठा होते हुए खसरा नम्बर 701 में अपनी भूमि में आता जाता है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट करके जो मौका रिपोर्ट पेश की है वह भी सही नहीं है। प्रार्थी जोर जबरदस्ती अप्रार्थी संख्या 2 के खेत से रास्ता चाहता है जो अप्रार्थी की खातेदारी का हैं इसलिए मैं प्रार्थी को मेरी खातेदारी भूमि में से रास्ता देने का इच्छुक नहीं हूं। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । प्रस्तुत मामलें में तहसीलदार लूणी द्वारा जो मौका फर्द पेंश कि गई है उस मौका फर्द को देखने से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 695 के दक्षिणी मेढ के सहारे सहारे निकटतम एवं न्यूनतम रास्ता उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है और इसका क्षेत्रफल लम्बाई 38 गट्ठा गुणा चौडाई 4 गट्ठा = 152 वर्ग गट्टा = 0.07.12 बीघा अर्थात 07 बिस्वा 12 बिस्वांसी रकबा बताया गया है।

अतः पत्रावली के अवलोकन से ऐसा विदित हो रहा है कि प्रार्थी ने अपने खातेदारी भूमि से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता सिद्ध किया है और यह रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि से होकर सुविधाजनक होने से प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिए की गई मांग न्यायोचित प्रतीत हो रही है ।इस

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 के ग्राम फींच के खसरा नम्बर 695 के दक्षिणी मेढ के सहारे सहारे निकटतम एवं न्यूनतम रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित है। इसलिए ग्राम फींच के खसरा नम्बर 695 रकबा 13 बीघा 196 बिस्वा में से रकबा 07 बिस्वा 12 बिस्वासी भूमि नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में कम की जाकर सार्वजनिक रास्ते के लिए स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नाकिंत रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि राजस्थान स्टाम नयिम 2004 के नियम 2 के उप नियम(1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विद्यमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्स नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचना का हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान रकम अवधारित की जायेगी।

अतः अप्रार्थी संख्या 2 हडमानराम पुत्र खीयाराम जी जाति विश्नोई उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम फीच तहसील लूणी जोधपुर की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 695 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा में से 07 बिस्वा 12 बिस्वासी भूमि की कीमत अवधारित की जाकर उसकी कृषि भूमि की डीएलसी दर से तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थीगण को उपलब्ध करवायें तथा उक्त राशि प्रार्थीगण तहसीलदार लूणी के समक्ष चैक अथवा डीडी प्रार्थीगण के हिस्सो अनुसार बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें । तहसील कार्यालय लूणी में जमा करवानें एवं रास्ते के लिए प्रस्तावित कृषि भूमि के खातेदार को उपरोक्त राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार लूणी को खातेदार की कम की गई आराजी को राजस्व रेकर्ड में किस्म गै.मु.रास्ता राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी